उत्तर प्रदेश विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों हेतु 4 मई, 2017 को प्रबोधन कार्यक्रम के समापन अवसर पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष का भाषण।

1. उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा अपने निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम में आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने और नए सदस्यों से मिलने का अवसर देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष श्री हृदयनारायण दीक्षित जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी हूं।

2. मैं उत्तरप्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ। यह स्पष्ट जनादेश लोगों के इस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि आप जनकल्याण एवं राष्ट्र–निर्माण हेतु जनाकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। जनसेवा के लिए जन–प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना बहुत ही सौभाग्य, गौरव तथा जिम्मेदारी की बात है। संसदीय लोकतंत्र में एक निर्वाचित प्रतिनिधि को दोहरी भूमिका निभानी होती है उसे एक ओर जनता और विधानमंडल के बीच तथा दूसरी ओर जनता तथा सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभानी होती है। वह हमारी भूमिका का 'संस्थागत' पहलू है।

3. इसी विधान सभा चुनाव में विशाल जनसमर्थन प्राप्त दल के नेता के रूप में निर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी यहां उपस्थित हैं एवं पूरी ऊर्जा, निष्ठा और मनोयोग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मैं उनका अभिनन्दन करती हूं। वे सन् 1998 में मात्र 26 वर्ष की आयु में ही गोरखपुर लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार संसद सदस्य चुने गए, तब से वे लगातार पांचवीं बार लोक सभा में इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे भी उनके साथ एक साथी सांसद के नाते एवं लोक सभा अध्यक्ष होने के नाते काम करने का

अवसर मिला है। अपने अनुभव से मैं यह कहना चाहूंगी कि संसद में सभी विधायी कार्यों में उनका रचनात्मक योगदान रहा है। पूर्वी उत्तरप्रदेश में जापानी इंसेफलाइटिस की समस्या हो अथवा गोरखपुर, उत्तरप्रदेश एवं देश से जुड़े मुद्दे हों, सभा में उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी एवं सारगर्भित तर्कों के माध्यम से जनहित के सरोकारों के साथ हमेशा अपनी स्पष्ट एवं सृजनात्मक राय रखी है।

4. विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी कुल छह बार उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद् में सदस्य रहे हैं। उन्होंने उत्तरप्रदेश शासन में संसदीय कार्य और पंचायती राज मंत्री के दायित्व का भी निर्वहन किया है। भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं समसामयिक सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर उनका लेखन लोकप्रिय रहा है। मुझे विश्वास है कि इनके व्यापक अनुभव का लाभ विधान सभा के सभी सदस्यों एवं पूरे प्रदेश को मिलेगा।

5. उत्तर प्रदेश राज्य को भारत की सांस्कृतिक एवं राजनैतिक हृदयस्थली माना जाता है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यही बात विकास के संदर्भ में कही जा सकती है कि बिना उत्तर प्रदेश के विकास के देश का विकास संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय योगी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और समृद्धि के नए मानदंड स्थापित करेगा।

6. इस सत्रहवीं विधान सभा में कुल निर्वाचित 403 सदस्यों में से 245 सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए हैं। जिनमें से महिला सदस्यों की संख्या 42 है जो कि अब तक सर्वाधिक है। मैं बताना चाहती हूं कि वर्तमान विधान सभा में 138 विधायक 45 वर्ष से कम उम्र के हैं जबकि 194 विधायक 50 वर्ष से कम उम्र के हैं, इन युवा विधायकों की उपस्थिति देखकर मैं आनंदित हूं। वे विधान सभा की प्रक्रियाओं

इत्यादि के विषय में जानने के लिए आए हैं और मैं चाहती हूं कि वे यहां से अधिक से अधिक चीजों को सीखें और उन्हें विधायी जीवन में अपनाएं ताकि आप जन–प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका अधिक प्रभावी रूप से निभा सकें।

7. आने वाले दिनों में इस सदन में आपको हर तरह की राजनीतिक विविधता, स्पर्धा, वैचारिक एकता और भिन्नता को देखने का अवसर प्राप्त होगा। किन्तु आपकी अभिव्यक्ति और व्यवहार स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अभिनिर्धारित तथा सात दशकों के हमारे संवैधानिक अनुभवों के आधार पर विकसित कार्य प्रणालियों के अनुसार ही होना चाहिये।

8. विधानमंडल के किसी भी सदन की सफलता सदस्यों के कार्यों, ईमानदारी, प्रतिबद्धता और संसदीय संस्थाओं में विश्वास पर निर्भर करती है। निर्वाचित होने के बाद सदस्यों को अपनी भूमिका को भली–भांति समझना चाहिए जिससे कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें। अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करना उनकी शिकायतों, उनके हितों को सदन में उठाना तथा कानून बनाने में विधायिका की सहायता करना और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना आपका कार्य होगा। विधायक के रूप में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी प्राथमिकताएं कैसे निर्धारित करते हैं तथा उन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिये किस प्रकार प्रभावी योजनाएं बनाते हैं। दूसरी बात यह कि एक प्रभावी विधायक बनने के लिये आपको विभिन्न प्रकार की संसदीय कार्यप्रणालियों और तरीकों से परिचित होना चाहिये। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संसदीय पद्धतियाँ, कार्य प्रणालियाँ और परम्पराएं सदन के कार्यों को व्यवस्थित और शीघ्रता से निपटाने के लिए ही बनायी गयी हैं। नियमों के अंतर्गत सदस्यों को ऐसे अनेक साधन उपलब्ध कराए गये हैं जिनसे वे व्यवस्थित ढंग से सदन में

विभिन्न मुद्दे उठा सकते हैं। जब सदस्य प्रक्रिया नियमों से पूरी तरह से परिचित होंगे तो वे प्रभावपूर्ण और सार्थक ढंग से सदन की कार्यवाहियों में भाग ले पाएंगे।

9. विधायकों को विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं जो आपको अब तक पता चल गया होगा। मेरा आपको सुझाव है कि आपको विधानमंडल द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों का उपयोग जनहित में करने की दिशा में निरन्तर प्रयास करना चाहिए। उन्हें अंतरात्मा की शुचिता के साथ खुले दिल से अपनी बात सदन के समक्ष रखनी चाहिए।

10. सभा में सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष को रचनात्मक सहयोग से काम करते हुए आम जनता के कल्याण संबंधी कार्यों को प्रमुखता से लेना चाहिए। सदन के नेता सरकार के प्रतिनिधि होते हैं तथा उन पर सभी सरकारी कार्यों को समय–सीमा में पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। उनको विपक्ष के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सभा की कार्यवाही को कुशलतापूर्वक निपटाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना मंतव्य निर्धारित करते हैं।

11. इस संदर्भ में, मैं गांधी जी द्वारा कहे गए शब्दों का उल्लेख करना चाहती हूं– **''यह सोचना एक भ्रम है कि विधायक मतदाताओं के मार्गदर्शक हैं। मतदाता, अपना मार्गदर्शन कराने के लिए प्रतिनिधियों को विधानसभा में नहीं भेजते। इसके विपरीत उन्हें जनता की इच्छाओं को ईमानदारी से पूरा करने के लिए वहां भेजा जाता है। अतः, विधायक की बजाय जनता मार्गदर्शक होती है। विधायक सेवक होते हैं और जनता स्वामी होती है।''**

12. प्रश्नकाल वास्तव में विधानमंडलों के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि प्रश्न काल, सदन के माध्यम से जनता द्वारा सरकार से प्रश्न पूछने और

उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने का जरिया है। प्रश्नकाल के बाधित होने से सरकार को उत्तरदायी बनाने के सदस्यों के अधिकार का हनन होता है।

13. विधान मंडलों द्वारा वित्तीय कार्यों की स्वीकृति एवं उनकी निगरानी महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों की विस्तृत जांच संबंधित मंत्रालयों से संबद्ध स्थायी समिति करती है तथा उसकी रिपोर्ट सिफारिशों सहित सभा को प्रस्तुत करती है। जिससे सभा विस्तृत रूप से संबंधित वित्तीय मामलों पर प्रत्यक्ष निगरानी रख सकती है। आपसे आशा है कि आप समिति के कार्य में रुचि लेंगे एवं अपनी रुचि के अनुसार अपने पसंदीदा विभाग/विषय में अपनी दक्षता को प्रमाणित करेंगे। हम जितना विषय की गंभीरता को समझते हैं, उतना ही जनता की समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया को गति देते हैं।

14. अब मैं आपसे संसदीय विधायी परम्पराओं और परिपाटियों की चर्चा करूंगी। इन्हें न केवल जानना आवश्यक है अपितु उनका पालन नितांत आवश्यक है। अध्यक्षपीठ के सम्मान की परम्परा पुरानी है। परिपाटी रही है कि सदस्यों को, जहां तक संभव हो, गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष को पर्ची भेज देनी चाहिए। सदस्यों के गर्भगृह में आने से कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है। साधारणतः, अध्यक्षपीठ के निर्णयों पर आक्षेप करना संसदीय परिपाटी का उल्लंघन है, इसका सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि पीठासीन अधिकारी अपने आसन पर खड़े हैं, तो वक्ता सदस्य को उनके सम्मान में बैठ जाना चाहिए। यह हमारी परिपाटी है। अतः, एक विधायक को संसदीय व्यवस्था की उच्चतम परंपराओं का ध्यान रखते हुए विधान संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

15. सदन का समय सीमित होता है और इसलिए दिए समय में सुसंगत और प्रभावी ढंग से विचारों को प्रस्तुत करने की कला में पारंगत होना आवश्यक है। शब्दों के चयन से समृद्ध भाषणों के जादुई असर होते हैं। अतः, भाषण में तर्कों की नुकीली धार हो। मैं चाणक्य द्वारा कही गई एक श्लोक को उदधृत करना चाहूंगी–

"को हि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम।

को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्।। "

(अर्थात् शक्तिशाली लोगों के लिए कौन–सा कार्य दुष्कर है, कोई भी नहीं। व्यापारियों के लिए कौन सा स्थान दूर है, कोई भी नहीं। बुद्धिमानों के लिए विदेश कौन–सा है, कोई भी नहीं। मधुर बोलने वालों के लिए कौन पराया है, कोई भी नहीं।)

16. विधान सभा एवं बाहर माननीय विधायकगण का व्यवहार शालीन, उत्तम और गरिमापूर्ण होना चाहिए। इससे आपकी और सभा, दोनों की गरिमा में बढ़ोत्तरी होती है। इससे आम जनता का विधायिका एवं लोकतंत्र के प्रति विश्वास सुदृढ़ होता है।

17. मेरा सुझाव है कि आप विधान सभा की कार्यवाही में तो हिस्सा लें और जानकारियां रखें ही, साथ ही, लोक सभा, राज्य सभा और अन्य विधान सभाओं/विधान परिषदों में होने वाले सकारात्मक एवं नवोन्मेषी कार्यों पर भी पैनी नजर रखें। इससे आपको कार्य में उच्च गुणवत्ता लाने में काफी मदद मिलेगी। मैं चाहती हूं कि आप सभी अपने अन्दर ज्यादा–से–ज्यादा सीखने की प्रवृत्ति पैदा करें। विधायी कार्यों के निपटान में और अधिक उत्कृष्टता पाने अथवा जानकारी हासिल करने के दृष्टिकोण से आप सबका लोक सभा सचिवालय में सदैव स्वागत है। संसद में Bureau of Parliament Studies and Training (BPST) है जहां

देश–विदेश के सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी, शोधार्थी, संबंधित विषयों का प्रशिक्षण लेने आते हैं। आप विधायकगण भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

18. मैंने लोक सभा के कार्यकरण में संसद सदस्यों की सहायता करने एवं विविध विषयों पर गहन अध्ययन, चर्चा के स्तर को उत्कृष्ट बनाने और शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अध्यक्षीय शोध कदम (Speaker's Research Initiative (SRI) की स्थापना की है। यह सभी संसद सदस्यों को विविध विषयों के संबंध में विशेषज्ञों के माध्यम से गहन जानकारी एवं बैकग्राउंड मैटीरियल (Background Material) उपलब्ध कराने का कार्य करती है। इसी प्रकार, सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने संसद के हर सत्र में इसके एक बिन्दु पर पूरे एक दिन चर्चा कराने का निर्णय लिया है।

19. किसी भी जीवन्त लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का समान महत्व है क्योंकि जहां बहुमत जनता की अभिरूचि को परिलक्षित करता है वहीं विपक्ष यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता पक्ष बहुमत के अहंकार में निरंकुश न हो जाए। इसलिए मेरा मानना है कि सशक्त लोकतंत्र में Opposition should have its say and Government should have its way- साथ ही संसद अथवा विधानमंडलों में Discussions, Debate, Disagreement हो सकते हैं लेकिन चर्चा के दौरान Disruptions के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए पक्ष–विपक्ष में उचित तालमेल, सामंजस्य, सहयोग एवं सार्थक विचार–विमर्श वांछित ही नहीं अपितु आवश्यक है। मैंने अपने संसदीय जीवन के अनुभव में यह देखा है कि विभिन्न संसदीय समितियों में किन्हीं मुद्दों अथवा कानूनों पर चर्चा होती है तो पक्ष–विपक्ष के जनप्रतिनिधि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बहुत सार्थक एवं रचनात्मक चर्चा करते

हैं एवं सुझाव देते हैं। मेरी मीडिया से यह अपेक्षा भी रहती है कि सकारात्मक चर्चा एवं भाषण को भी मीडिया में उचित प्राथमिकता एवं प्रमुखता से स्थान मिलना चाहिए। इस उददेश्य के लिए हमने बीपीएसटी के अंतर्गत प्रदेशों के मीडिया को संसदीय नियमों, कार्यप्रणाली एवं इतिहास से परिचित कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसकी अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है।

20. एक और बात मैं जोर देकर कहना चाहती हूं कि विधायकों को चाहिए कि वे राज्य सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार की योजनाओं को भी जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की दिशा में कार्य करें ताकि विकास कार्यों को गति मिले। निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते आप जनमत तैयार करने और सरकार को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। आप लोगों का समर्थन प्राप्त करके समाज में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में अपना वास्तविक योगदान दे सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री हृदयनारायण दीक्षित जी के अनुभव, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व व नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश विधान सभा अपना उत्कृष्ट कार्य करेगी एवं उत्तर प्रदेश चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। मेरी कामना है कि लोगों की सेवा के लिए आपके सभी प्रयास सफल हों। इस प्रबोधन कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए मैं विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं अन्य अनुषंगी एजेंसियों को भी बधाई देती हूं।

धन्यवाद।